INTERNATIONAL JOURNAL FOR LEGAL RESEARCH AND ANALYSIS

Open Access, Refereed Journal Multi Disciplinary
Peer Reviewed

www.ijlra.com

ISSN: 2582-6433

DISCLAIMER

No part of this publication may be reproduced or copied in any form by any means without prior written permission of Managing Editor of IJLRA. The views expressed in this publication are purely personal opinions of the authors and do not reflect the views of the Editorial Team of IJLRA.

Though every effort has been made to ensure that the information in Volume II Issue 7 is accurate and appropriately cited/referenced, neither the Editorial Board nor IJLRA shall be held liable or responsible in any manner what sever for any consequences for any action taken by anyone on the basis of information in the Journal.

Copyright © International Journal for Legal Research & Analysis

ISSN: 2582-6433

EDITORIALTEAM

EDITORS

Dr. Samrat Datta

Dr. Samrat Datta Seedling School of Law and Governance, Jaipur National University, Jaipur. Dr. Samrat Datta is currently associated with Seedling School of Law and Governance, Jaipur National University, Jaipur. Dr. Datta has completed his graduation i.e., B.A.LL.B. from Law College Dehradun, Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University, Srinagar, Uttarakhand. He is an alumnus of KIIT University, Bhubaneswar where he pursued his post-graduation (LL.M.) in Criminal Law and subsequently completed his Ph.D. in Police Law and Information Technology from the Pacific Academy of Higher Education and Research University, Udaipur in 2020. His area of interest and research is Criminal and Police Law. Dr. Datta has a teaching experience of 7 years in various law schools across North India and has held administrative positions like Academic Coordinator, Centre Superintendent for Examinations, Deputy Controller of Examinations, Member of the Proctorial Board

Dr. Namita Jain

Head & Associate Professor
School of Law, JECRC University, Jaipur Ph.D. (Commercial Law) LL.M., UGC-NET Post Graduation Diploma in Taxation law and Practice, Bachelor of Commerce.

Teaching Experience: 12 years, AWARDS AND RECOGNITION of Dr. Namita Jain are - ICF Global Excellence Award 2020 in the category of educationalist by I Can Foundation, India. India Women Empowerment Award in the category of "Emerging Excellence in Academics by Prime Time & Utkrisht Bharat Foundation, New Delhi. (2020). Conferred in FL Book of Top 21 Record Holders in the category of education by Fashion Lifestyle Magazine, New Delhi. (2020).Certificate of Appreciation for organizing and managing the Professional Development Training Program on IPR in Collaboration with Trade Innovations Services, Jaipur on March 14th, 2019

ISSN: 2582-6433

Mrs.S.Kalpana

Assistant professor of Law

Mrs.S.Kalpana, presently Assistant professor of Law, VelTech Rangarajan Dr.Sagunthala R & D Institute of Science and Technology, Avadi. Formerly Assistant professor of Law,Vels University in the year 2019 to 2020, Worked as Guest Faculty, Chennai Dr.Ambedkar Law College, Pudupakkam. Published one book. Published 8Articles in various reputed Law Journals. Conducted 1Moot court competition and participated in nearly 80 National and International seminars and webinars conducted on various subjects of Law. Did ML in Criminal Law and Criminal Justice Administration.10 paper presentations in various National and International seminars. Attended more than 10 FDP programs. Ph.D. in Law pursuing.

Avinash Kumar

Avinash Kumar has completed his Ph.D. in International Investment Law from the Dept. of Law & Governance, Central University of South Bihar. His research work is on "International Investment Agreement and State's right to regulate Foreign Investment." He qualified UGC-NET and has been selected for the prestigious ICSSR Doctoral Fellowship. He is an alumnus of the Faculty of Law, University of Delhi. Formerly he has been elected as Students Union President of Law Centre-1, University of Delhi. Moreover, he completed his LL.M. from the University of Delhi (2014-16), dissertation on "Cross-border Merger & Acquisition"; LL.B. from the University of Delhi (2011-14), and B.A. (Hons.) from Maharaja Agrasen College, University of Delhi. He has also obtained P.G. Diploma in IPR from the Indian Society of International Law, New Delhi. He has qualified UGC – NET examination and has been awarded ICSSR – Doctoral Fellowship. He has published six-plus articles and presented 9 plus papers in national and international seminars/conferences. He participated in several workshops on research methodology and teaching and learning.

ISSN: 2582-6433

ABOUT US

INTERNATIONAL JOURNAL FOR LEGAL RESEARCH & ANLAYSIS ISSN- 2582-6433 is an Online Journal is Monthly, Peer Review, Academic Journal, Published online, that seeks to provide an interactive platform for the publication of Short Articles, Long Articles, Book Review, Case Comments, Research Papers, Essay in the field of Law & Multidisciplinary issue. Our aim is to upgrade the level of interaction and discourse about contemporary issues of law. We are eager to become a highly cited academic publication, through quality contributions from students, academics, professionals from the industry, the bar and the bench. INTERNATIONAL JOURNAL FOR LEGAL RESEARCH & ANALYSIS ISSN 2582-6433 welcomes contributions from all legal branches, as long as the work is original, unpublished and is in consonance with the submission guidelines.

ISSN: 2582-6433

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विरुद्ध अत्याचारों की विधिक संरचना और न्यायिक प्रतिक्रिया: बलौदा बाजार-भाटापारा जिले का एक अध्ययन

लेखक - अनुराधा टंडन,
शोधार्थी,
विधि विभाग, कलिंगा विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

सह-लेखक - **डॉ.** विवेक मलिक,
सहायक प्राध्यापक,
विधि विभाग, कलिंगा विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

1. प्रस्तावना

1.1 अध्ययन की पृष्ठभूमि

भारतीय समाज विविधता, बहुलता और परंपरागत सामाजिक संरचनाओं से परिपूर्ण है, जिसमें जाति व्यवस्था का एक प्रमुख स्थान रहा है। यह व्यवस्था सामाजिक असमानता, आर्थिक विषमता और सामाजिक बहिष्करण का कारण बनी रही है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग, जो ऐतिहासिक रूप से शोषण, भेदभाव और अत्याचार के शिकार रहे हैं, आज भी सामाजिक न्याय की प्रक्रिया में समान भागीदारी प्राप्त करने के लिए संघर्षरत हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संविधान निर्माताओं ने इन वर्गों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त करने हेतु विशेष प्रावधान किए, किंतु व्यवहारिक स्तर पर अत्याचारों की घटनाएँ निरंतर होती रही हैं। इस संदर्भ में अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का निर्माण सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हुआ है।

1.2 अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विरुद्ध अत्याचारों की सामाजिक व ऐतिहासिक स्थिति

भारतीय समाज में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के साथ भेदभाव का इतिहास अत्यंत पुराना है। जातिगत व्यवस्था ने इन्हें मुख्यधारा से पृथक कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप यह वर्ग शिक्षा, रोजगार, भूमि स्वामित्व और सामाजिक सम्मान से वंचित रहा। स्वतंत्रता के बाद कानूनी संरक्षण प्राप्त होने के बावजूद इन पर अत्याचारों की घटनाएँ समय-समय पर घटित होती रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जातिगत श्रेष्ठता की भावना, सामाजिक असमानता और प्रशासनिक उदासीनता इन अत्याचारों को बढ़ावा देती हैं। सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के प्रति यह हिंसा केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और आर्थिक उत्पीड़न के रूप में भी प्रकट होती है।

1.3 अध्ययन का महत्व और आवश्यकता

यह अध्ययन अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विरुद्ध अत्याचारों की वास्तविक स्थिति, विधिक संरक्षण की

ISSN: 2582-6433

प्रभावशीलता और न्यायिक प्रतिक्रिया का विश्लेषण करता है। बलौदा बाजार-भाटापारा जिले का चयन इसलिए किया गया है क्योंकि यह क्षेत्र सामाजिक विविधता और जातिगत असमानता के दृष्टिकोण से प्रतिनिधिक स्वरूप रखता है। अध्ययन से यह ज्ञात किया जा सकेगा कि विधिक प्रावधानों के बावजूद अत्याचारों की घटनाएँ क्यों बनी हुई हैं, तथा पीड़ितों को न्याय दिलाने में किन कारकों की भूमिका प्रमुख है। यह शोध नीति निर्माताओं, सामाजिक संगठनों और न्यायिक संस्थानों के लिए दिशा-निर्देशक के रूप में उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

1.4 अध्ययन के उद्देश्य

इस अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं –

1. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विरुद्ध अत्याचारों की प्रकृति और प्रकार का विश्लेषण करना।
2. अत्याचार निवारण के लिए उपलब्ध विधिक संरचना का अध्ययन करना।
3. बलौदा बाजार-भाटापारा जिले में न्यायिक प्रतिक्रिया एवं विधिक क्रियान्वयन की स्थिति का मूल्यांकन करना।
4. न्याय प्राप्ति की प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं की पहचान करना।
5. अध्ययन के आधार पर सुधारात्मक उपाय एवं नीति सुझाव प्रस्तुत करना।

1.5 अध्ययन की सीमाएँ

यह अध्ययन भौगोलिक रूप से केवल बलौदा बाजार-भाटापारा जिले तक सीमित है, अतः इसके निष्कर्षों को सम्पूर्ण राज्य या देश पर समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता। अध्ययन में प्रयुक्त आँकड़े सीमित अवधि के हैं, तथा उनका स्रोत मुख्यतः सरकारी अभिलेखों, न्यायालयीन दस्तावेज़ों और साक्षात्कारों पर आधारित है। इसके अतिरिक्त, सामाजिक संवेदनशीलता के कारण कुछ उत्तरदाताओं ने अपने अनुभवों को साझा करने में संकोच किया, जिससे प्राथमिक डाटा की सीमा बनी रही। इन सीमाओं के बावजूद यह शोध सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण प्रयास है, जो विधिक प्रणाली की प्रभावशीलता का यथार्थ मूल्यांकन प्रस्तुत करता है।

2. संबंधित साहित्य की समीक्षा

2.1 अनुसूचित जाति एवं जनजाति से संबंधित पूर्ववर्ती अध्ययनों का विश्लेषण

देश में अनुसूचित जाति व जनजाति के विरुद्ध होने वाले अत्याचारों पर कई अध्ययन हुए हैं जो दो मुख्य धुरों पर केन्द्रित हैं — (क) घटनात्मक/सांख्यिकीय प्रवृत्तियाँ और (ख) सामाजिक-आर्थिक कारण व स्थानीय संरचनाएँ। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख (NCRB) तथा संबंधित सरकारी रिपोर्टों में समय-समय पर दर्ज आँकड़े यह दर्शाते हैं कि विशेषकर ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में जातिगत हिंसा तथा उत्पीडन की घटनाएँ टिकती रहीं हैं; कुछ वर्षों में मामलों की संख्या में उतार-चढ़ाव के साथ समग्र प्रवृत्ति बनी रही है, जो नीतिगत हस्तक्षेपों के बावजूद समस्या की जड़त्व दर्शाती है।

ISSN: 2582-6433

कई क्षेत्रीय और समाजशास्त्रीय अध्ययनों ने यह रेखांकन किया है कि अत्याचार केवल वैयक्तिक हिंसा नहीं, बल्कि सामाजिक लैंगिक-आधारित, आर्थिक व भूमिसंबंधी असमानताओं के साथ जुड़ा जटिल संरचनात्मक phénomène है। स्थानीय स्तर पर किए गए केस-स्टडी और ग्राम-आधारित अनुसंधान यह भी बताते हैं कि जमीन, स्व-सम्मान के संघर्ष, रोजगार के अधिकार तथा राजनीतिक प्रभाव-क्षेत्र जैसी कारण संकुलित होकर अत्याचारों को जन्म देते हैं। (उपरोक्त निष्कर्षों का समेकन विशेषतः क्षेत्राधारित शोधों और सामाजिक विज्ञान के लेखों में पाया जाता है)।

2.2 विधिक प्रावधानों पर किए गए शोधों की समीक्षा

विधायी स्तर पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (PoA Act) को अनुभूतियों और कानूनी विश्लेषणों के विषय के तौर पर बड़े पैमाने पर अध्ययन मिला है। अधिनियम के स्वरूप, संशोधनों, राहत-पुनर्वास प्रावधानों तथा सक्रिय-निगरानी तंत्र की चर्चा व्यापक रूप से उपलब्ध है; नीति-दस्तावेज़ और मंत्रालयीय वार्षिक अ२०७-रिपोर्टों में अधिनियम के क्रियान्वयन से जुड़ी व्यवस्थात्मक चुनौतियाँ और अनुपालन की स्थिति का विवेचन मिलता है। अनेक लेखों ने अधिनियम के प्रभाव, उसकी क्रियान्वयन में पुलिस व प्रशासनिक सुस्तता, स्पेशल कोर्ट/प्रोटेक्शन सेल की अनुपलब्धता तथा पीड़ितों तक राहत-योजना के व्यवहारिक अड़चनों को उजागर किया है।

कुछ विधि-व्यवस्था विश्लेषणों ने अधिनियम के 'द्रुत निपटान' के लक्ष्य और वास्तविकता के बीच के फासले पर भी चर्चा की है — विशेष रूप से केस पेंडेंसी, साक्ष्य संग्रह में कठिनाई, तथा अभियोग लिखने/एफआइआर दर्ज करने के प्रावधानों में पुलिस-पक्षीय व्यवहार के कारण वास्तविक लाभ पीड़ितों तक पहुँचने में विफलता के दावे उठाये गए हैं। इसी संदर्भ में कुछ समालोचनात्मक अध्ययन यह भी उठाते हैं कि अधिनियम के दुरुपयोग के आरोप और सामाजिक-राजनीतिक बहसें भी कानून के प्रभावी क्रियान्वयन को प्रभावित करती हैं।

2.3 न्यायिक दृष्टिकोण पर विद्यमान साहित्य का अध्ययन

न्यायिक प्रतिक्रियाओं पर उपलब्ध साहित्य में दो प्रवृत्तियाँ प्रमुख हैं: (क) उच्च न्यायालयों/सुप्रीम कोर्ट के निर्नयों का कानूनी व्याख्यात्मक अध्ययन, और (ख) निचली अदालतों में व्यवहारिक अप्लिकेशन व ट्रायल-प्रक्रिया का अनुभवजन्य अध्ययन। न्यायालयीन निर्णयों ने कई बार PoA Act की संवैधानिकता, धाराओं की व्याख्या तथा अधिकार देता प्रावधानों पर स्पष्टता दी है; परंतु व्यवहार में न्यायालयीन प्रवाह और केस-निपटान की गति हो often धीमी रहती है — जिससे पीड़ित की तात्कालिक सुरक्षा व राहत प्रभावित होती है। इसके अतिरिक्त, कुछ शोधों ने ट्रायल-प्रक्रिया में शिकायत-पटल का उपयोग, गवाही-सुरक्षा, और वंचित समुदायों के लिए कानून-साक्षरता के महत्व को भी प्रमुखता से उठाया है।

2.4 अध्ययन के अंतराल (गैप) की पहचान

वर्तमान साहित्य राष्ट्रीय-स्तर पर अभिलेखीय, कानूनी तथा सामाजिक-वैचारिक विश्लेषणों में समृद्ध है, किंतु

ISSN: 2582-6433

निम्नलिखित महत्वपूर्ण अंतराल स्पष्ट रूप से देखे गए हैं:

- अधिकांश अध्ययन राष्ट्रीय या राज्य-स्तर के आँकड़ों व नीतिगत विश्लेषणों पर केन्द्रित हैं; जिले-स्तरीय (micro-level) समेकित और तुलनात्मक क्षेत्रीय केस-स्टडी सीमित संख्या में ही उपलब्ध हैं। यही कारण है कि स्थानीय प्रशासनिक व्यवहार, पुलिस-प्रक्रिया और समुदाय-स्तर की सामाजिक व्यवस्थाएँ ठीक प्रकार से रेखांकित नहीं होतीं।
- न्यायिक उत्तरदायित्व/रिफॉर्म पर विधि-विश्लेषण दर्शाते हैं पर निचली अदालतों में सुनवाई-प्रक्रियाओं, पीड़ितों की व्यवहारिक पहुँच और संरक्षणात्मक तंत्रों (जैसे विशेष पुलिस स्टेशन, सुरक्षा-नोडल अधिकारी) की प्रभावशीलता पर सामयिक, क्षेत्रविशेष अध्ययनों की कमी है।
- कई आलोचनात्मक शोध बताते हैं कि PoA Act के दुरुपयोग संबंधी सार्वजनिक बहसें और अदालती आँकड़े एक-दूसरे से भिन्न व्याख्याएँ देते हैं; पर इन दोनों धाराओं का समेकित, क्षेत्राधारित तुलनात्मक विश्लेषण अपूर्ण है।

3. अनुसंधान पद्धति

इस अध्ययन में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विरुद्ध अत्याचारों की विधिक संरचना और न्यायिक प्रतिक्रिया का मूल्यांकन किया गया है। अध्ययन की प्रकृति अनुभवजन्य, विश्लेषणात्मक और वर्णनात्मक है, जिसका उद्देश्य न केवल घटनाओं का तथ्यात्मक प्रस्तुतिकरण करना है, बल्कि उनके सामाजिक, विधिक और न्यायिक आयामों का तुलनात्मक विश्लेषण भी करना है।

3.1 अनुसंधान का प्रकार

अध्ययन का स्वरूप मिश्रित (वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक) है।

- **वर्णनात्मक पहलू** के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विरुद्ध अत्याचारों की घटनाओं, उनकी प्रकृति, विधिक प्रावधानों और न्यायिक प्रक्रिया का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
- **विश्लेषणात्मक पहलू** के अंतर्गत उपलब्ध आँकड़ों, न्यायालयीन निर्णयों और प्रशासनिक प्रतिक्रियाओं का तुलनात्मक अध्ययन कर यह ज्ञात करने का प्रयास किया गया है कि वर्तमान विधिक ढांचा कितनी प्रभावशीलता के साथ लागू हो रहा है तथा उसमें किन व्यावहारिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

3.2 अध्ययन क्षेत्र का चयन – बलौदा बाजार-भाटापारा जिला

अध्ययन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के बलौदा बाजार-भाटापारा जिले का चयन किया गया है। यह जिला सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से विविधता से युक्त है तथा यहाँ अनुसूचित जाति और जनजाति की जनसंख्या का अनुपात राज्य के औसत से अधिक है। ग्रामीण अंचलों में अब भी जातिगत असमानता और सामाजिक भेदभाव की घटनाएँ देखी जाती हैं। जिला मुख्यालय बलौदा बाजार तथा इसके अंतर्गत आने वाले विकासखंड जैसे—भाटापारा, कसडोल,

ISSN: 2582-6433

पलारी और बिलाईगढ़—अध्ययन के प्रमुख क्षेत्र रहे। यह चयन उद्देश्यपूर्ण (purposive) रहा, ताकि सामाजिक-आर्थिक विविधता और न्यायिक कार्यप्रणाली का व्यापक आकलन किया जा सके।

3.3 डाटा संग्रहण की विधि

3.3.1 प्राथमिक स्रोत

प्राथमिक डाटा का संकलन प्रत्यक्ष क्षेत्रीय अध्ययन के माध्यम से किया गया।

- **साक्षात्कार:** अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के पीड़ितों, उनके परिवारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, अधिवक्ताओं और प्रशासनिक अधिकारियों से अर्द्ध-संरचित (semi-structured) साक्षात्कार लिए गए।
- **प्रश्नावली:** एक मानकीकृत प्रश्नावली तैयार की गई जिसमें अत्याचार की घटनाओं, न्यायिक प्रक्रिया की उपलब्धता, पुलिस व्यवहार, और पीड़ितों की संतुष्टि से संबंधित प्रश्न सम्मिलित थे।
- **केस अध्ययन:** कुछ चयनित मामलों (registered FIR और न्यायालयीन प्रक्रिया में लंबित प्रकरणों) का गहन अध्ययन किया गया ताकि वास्तविक न्यायिक स्थिति और व्यवहारिक समस्याओं को समझा जा सके।

3.3.2 द्वितीयक स्रोत

द्वितीयक डेटा के लिए विभिन्न सरकारी और अकादमिक स्रोतों का उपयोग किया गया, जिनमें शामिल हैं –

- **सरकारी रिपोर्टें:** राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (NCRB) की वार्षिक रिपोर्ट, राज्य सरकार की सामाजिक न्याय विभाग की रिपोर्टें।
- **न्यायालयीन अभिलेख:** जिला न्यायालय, विशेष न्यायालय (SC/ST Act), और उच्च न्यायालय से संबंधित उपलब्ध निर्णय।
- **पुस्तकें एवं शोध लेख:** अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अधिकार, विधिक सुधार, और सामाजिक न्याय से संबंधित प्रकाशित साहित्य।
- **समाचार पत्र एवं ऑनलाइन अभिलेख:** स्थानीय समाचार स्रोतों से अत्याचारों की घटनाओं और प्रशासनिक प्रतिक्रियाओं से संबंधित समाचार।

3.4 नमूना आकार और चयन विधि

अध्ययन में कुल 100 उत्तरदाताओं को शामिल किया गया, जिनमें अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के पीड़ित, उनके परिवारजन, सामाजिक कार्यकर्ता, अधिवक्ता, पुलिस अधिकारी और न्यायिक प्रतिनिधि सम्मिलित थे।

- **नमूना चयन विधि:** उद्देश्यपूर्ण (Purposive Sampling) विधि का प्रयोग किया गया, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि चयनित व्यक्ति विषय के अनुरूप प्रत्यक्ष या परोक्ष अनुभव रखते हों।
- नमूना में 60% पीड़ित/परिवारजन, 20% विधिक विशेषज्ञ और 20% प्रशासनिक/पुलिस अधिकारी सम्मिलित किए गए। यह संरचना अध्ययन को संतुलित दृष्टिकोण प्रदान करती है जिससे सामाजिक एवं विधिक दोनों पक्षों का सम्यक विश्लेषण किया जा सके।

ISSN: 2582-6433

3.5 डाटा विश्लेषण की तकनीक

संग्रहीत डेटा का विश्लेषण गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों तकनीकों के माध्यम से किया गया।

- **मात्रात्मक विश्लेषण:** प्राप्त आँकड़ों का प्रतिशत, अनुपात एवं आवृत्ति (frequency) के आधार पर विश्लेषण किया गया।
- **गुणात्मक विश्लेषण:** साक्षात्कार और केस अध्ययनों से प्राप्त विवरणों का थीम आधारित विश्लेषण (thematic analysis) किया गया।
- **तुलनात्मक दृष्टिकोण:** अधिनियम के प्रावधानों और वास्तविक न्यायिक प्रतिक्रिया के बीच अंतर का तुलनात्मक अध्ययन किया गया।

4. विधिक संरचना

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विरुद्ध अत्याचारों की रोकथाम एवं निवारण के लिए भारतीय विधि व्यवस्था में विशेष प्रावधान किए गए हैं। संविधान ने सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांत को मूलभूत अधिकारों और राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों के रूप में प्रतिष्ठित किया है। इन संवैधानिक प्रावधानों को मूर्त रूप देने के उद्देश्य से *अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989* लागू किया गया, जो सामाजिक अन्याय के विरुद्ध एक सशक्त कानूनी उपकरण के रूप में स्थापित है।

4.1 भारतीय संविधान में समानता एवं सामाजिक न्याय से संबंधित अनुच्छेद

भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के हितों की रक्षा हेतु अनेक अनुच्छेदों का समावेश किया गया है, जो समानता, न्याय और गरिमा के सिद्धांतों पर आधारित हैं —

- **अनुच्छेद 14:** राज्य के समक्ष सभी नागरिकों की समानता तथा विधि के समान संरक्षण की गारंटी देता है।
- **अनुच्छेद 15 (1) एवं (2):** धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान या किसी अन्य आधार पर भेदभाव को निषिद्ध करता है।
- **अनुच्छेद 15 (4):** राज्य को अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार प्रदान करता है।
- **अनुच्छेद 16 (4):** अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण की व्यवस्था।
- **अनुच्छेद 17:** अस्पृश्यता का अंत और उसके किसी भी रूप के व्यवहार को दंडनीय अपराध घोषित करता है।
- **अनुच्छेद 46:** राज्य को निर्देश देता है कि वह अनुसूचित जाति एवं जनजाति की शैक्षणिक और आर्थिक उन्नति को विशेष रूप से प्रोत्साहित करे तथा सामाजिक अन्याय और शोषण से उनकी रक्षा करे।
- **अनुच्छेद 338 एवं 338A:** राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना का प्रावधान, जिनका कार्य इन वर्गों के अधिकारों की निगरानी और सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

ISSN: 2582-6433

4.2 अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रमुख प्रावधान

अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 भारतीय दंड संहिता से भिन्न एक विशेष अधिनियम है, जिसका उद्देश्य इन वर्गों पर होने वाले अत्याचारों की रोकथाम और पीड़ितों को त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है। इसके प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं —

- **धारा 3:** अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों पर किए गए विभिन्न प्रकार के अपराधों को "अत्याचार" की परिभाषा में सम्मिलित करती है, जैसे — सामाजिक बहिष्कार, भूमि से बेदखली, अपमान, यौन उत्पीड़न, शारीरिक हिंसा, आदि।
- **धारा 4:** सरकारी अधिकारी या पुलिस अधिकारी द्वारा कर्तव्यपालन में लापरवाही या अनुपालन न करने की स्थिति में दंड का प्रावधान करती है।
- **धारा 14:** विशेष न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान ताकि अत्याचार से संबंधित मामलों का त्वरित निपटान किया जा सके।
- **धारा 15A (संशोधन 2015):** पीड़ित या गवाह की सुरक्षा, सूचना का अधिकार, तथा न्यायिक प्रक्रिया में भागीदारी का प्रावधान करती है।
- **धारा 21:** राज्य सरकार को अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु निगरानी समितियों और विशेष प्रकोष्ठों की स्थापना का अधिकार देती है।

4.3 अधिनियम में संशोधन एवं उनके प्रभाव

अधिनियम में समय-समय पर किए गए संशोधन इसके क्रियान्वयन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किए गए हैं।

- **संशोधन वर्ष 2015:** इसमें नई परिभाषाएँ जोड़ी गईं जैसे — सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार, सामूहिक दंड, और शारीरिक अपमान के अतिरिक्त मानसिक उत्पीड़न को भी अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया। साथ ही, पीड़ितों और गवाहों की सुरक्षा के लिए विस्तृत प्रावधान जोड़े गए।
- **संशोधन वर्ष 2018:** सर्वोच्च न्यायालय के *Subhash Kashinath Mahajan बनाम भारत सरकार (2018)* निर्णय के पश्चात यह संशोधन लाया गया, जिसने अधिनियम की कठोरता को पुनः स्थापित किया। संशोधन में यह स्पष्ट किया गया कि किसी भी प्राथमिकी को दर्ज करने से पहले पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होगी तथा अग्रिम जमानत का प्रावधान लागू नहीं होगा।

4.4 प्रशासनिक एवं पुलिस तंत्र की भूमिका

अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन में प्रशासनिक और पुलिस तंत्र की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

- जिला स्तर पर निगरानी समिति का गठन किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी करते हैं। यह समिति अत्याचार मामलों की समीक्षा, पुनर्वास योजनाओं की प्रगति और राहत वितरण की निगरानी करती है।

ISSN: 2582-6433

- पुलिस विभाग अधिनियम के तहत *विशेष पुलिस अधिकारी* नियुक्त करता है, जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति से संबंधित अपराधों की जाँच और रिपोर्टिंग का उत्तरदायित्व निभाते हैं।
- विशेष न्यायालयों के माध्यम से त्वरित सुनवाई सुनिश्चित की जाती है, हालांकि व्यावहारिक स्तर पर अनेक न्यायालयों में मामलों की लंबित संख्या न्यायिक प्रक्रिया की सुस्ती को दर्शाती है।
- राज्य निगरानी समिति समय-समय पर राज्य स्तर पर समीक्षा बैठकें आयोजित करती है ताकि प्रशासनिक उदासीनता या पुलिस लापरवाही पर नियंत्रण रखा जा सके।

5. न्यायिक प्रतिक्रिया

5.1 प्रमुख न्यायालयीन निर्णयों का विश्लेषण

अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रभावी क्रियान्वयन में न्यायपालिका की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण रही है। कई ऐतिहासिक निर्णयों ने इस अधिनियम की व्याख्या एवं उसके दायरे को स्पष्ट किया है। उदाहरणस्वरूप, State of M.P. v. Ram Krishna Balothia (1995) में सर्वोच्च न्यायालय ने अधिनियम की संवैधानिक वैधता को बनाए रखते हुए कहा कि यह कानून सामाजिक न्याय की दिशा में एक सशक्त कदम है। इसी प्रकार Subhash Kashinath Mahajan v. State of Maharashtra (2018) के निर्णय में न्यायालय ने गिरफ्तारी से पूर्व जाँच की आवश्यकता पर बल दिया, जिससे प्रशासनिक दुरुपयोग की आशंकाओं पर नियंत्रण किया जा सके। हालाँकि, इस निर्णय की आलोचना भी हुई क्योंकि इससे पीड़ित वर्ग के संरक्षण में कमी आने की आशंका जताई गई। बाद में, Union of India v. State of Maharashtra (2019) में पुनः इस निर्णय को संशोधित करते हुए न्यायालय ने यह सुनिश्चित किया कि अधिनियम का मूल उद्देश्य – अत्याचारों से सुरक्षा – बाधित न हो।

5.2 न्यायपालिका की भूमिका – संरक्षण बनाम क्रियान्वयन

न्यायपालिका ने एक ओर अधिनियम की संवैधानिकता को कायम रखकर अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के अधिकारों की रक्षा की है, वहीं दूसरी ओर क्रियान्वयन में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों को भी ध्यान में रखा है। न्यायालयों ने प्रशासनिक पारदर्शिता, निष्पक्ष जाँच एवं अभियोजन की गति पर कई बार निर्देश दिए हैं। न्यायपालिका ने यह भी माना है कि केवल विधिक प्रावधानों की उपस्थिति पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका प्रभावी क्रियान्वयन ही वास्तविक सामाजिक न्याय सुनिश्चित कर सकता है।

5.3 न्यायिक प्रक्रिया में आने वाली चुनौतियाँ

न्यायिक प्रक्रिया में कई व्यावहारिक समस्याएँ सामने आती हैं – जैसे कि मामलों की लंबी अवधि, साक्ष्य का अभाव, पीड़ितों पर सामाजिक दबाव, और पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता। अनेक बार गवाहों के मुकर जाने या समझौते के दबाव में आने से न्यायिक प्रक्रिया कमजोर पड़ जाती है। साथ ही, ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में पीड़ितों को न्यायिक प्रक्रिया की जानकारी न होना भी एक बड़ी चुनौती है।

ISSN: 2582-6433

5.4 न्याय प्राप्ति की व्यवहारिक स्थिति

बलौदा बाजार-भाटापारा जिले में किए गए प्राथमिक अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि अधिनियम के अंतर्गत दर्ज मामलों में अधिकांश पीड़ितों को न्याय प्राप्ति में विलंब का सामना करना पड़ता है। यद्यपि पुलिस एवं न्यायालय स्तर पर शिकायतों का संज्ञान लिया जाता है, परंतु दोषसिद्धि की दर अपेक्षाकृत कम है। इसका प्रमुख कारण प्रशासनिक जाँच में विलंब, अपर्याप्त साक्ष्य, तथा सामाजिक दबाव है। फिर भी, न्यायपालिका की सक्रियता एवं उच्च न्यायालयों द्वारा जारी दिशानिर्देशों से इस दिशा में सुधार के संकेत मिले हैं। यह देखा गया है कि जब न्यायालयों ने स्वतः संज्ञान लिया या समय-सीमा में मामलों के निपटान के निर्देश दिए, तब न्यायिक प्रक्रिया अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी रही।

6. बलौदा बाजार-भाटापारा जिले का विश्लेषणात्मक अध्ययन

6.1 जिले की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि

बलौदा बाजार-भाटापारा जिला छत्तीसगढ़ राज्य का एक प्रमुख कृषि प्रधान क्षेत्र है, जहाँ की आबादी का बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। जनगणना 2011 के अनुसार जिले की जनसंख्या लगभग 10 लाख है, जिसमें अनुसूचित जातियों का प्रतिशत लगभग 15% और अनुसूचित जनजातियों का 13% है। आर्थिक रूप से अधिकांश परिवार कृषि, मजदूरी एवं लघु व्यवसायों पर निर्भर हैं। सामाजिक दृष्टि से यह क्षेत्र पारंपरिक जाति-व्यवस्था से प्रभावित है, जिससे सामाजिक असमानता और भेदभाव की प्रवृत्तियाँ अभी भी कुछ हद तक विद्यमान हैं। शिक्षा और रोजगार में सुधार के बावजूद अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदायों को सामाजिक स्वीकृति और समान अवसर प्राप्त करने में चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

6.2 जिले में दर्ज अत्याचारों का सांख्यिकीय विश्लेषण

जिला पुलिस अभिलेखों और सामाजिक न्याय विभाग के आँकड़ों के अनुसार, पिछले पाँच वर्षों (2020–2024) में अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत लगभग 220 प्रकरण दर्ज किए गए। इनमें सर्वाधिक मामले सामाजिक अपमान, मारपीट, और भूमि विवाद से संबंधित पाए गए।

साल 2020 में 38 मामले, 2021 में 42, 2022 में 46, 2023 में 50 और 2024 में 44 मामले दर्ज हुए। हालाँकि, इनमें से केवल लगभग 35% मामलों में आरोप सिद्ध हो सके, जबकि शेष प्रकरण या तो जाँचाधीन हैं या सबूतों के अभाव में समाप्त कर दिए गए। यह आँकड़ा स्पष्ट करता है कि यद्यपि कानून का उपयोग बढ़ा है, परन्तु न्यायिक निष्कर्षण की दर अभी भी अपेक्षाकृत कम है।

6.3 पीड़ितों की न्यायिक पहुँच और अनुभव

साक्षात्कार आधारित प्राथमिक आंकड़ों से ज्ञात हुआ कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक तंत्र तक पहुँचने में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मुख्य समस्याओं में शामिल हैं –

ISSN: 2582-6433

- शिकायत दर्ज करने में पुलिस की उदासीनता,
- सामाजिक दबाव एवं भय का वातावरण,
- लंबी न्यायिक प्रक्रिया और आर्थिक संसाधनों की कमी। हालाँकि, जिन मामलों में स्थानीय सामाजिक संगठनों या जनप्रतिनिधियों ने सक्रिय भूमिका निभाई, वहाँ पीड़ितों को अपेक्षाकृत शीघ्र न्याय मिला। यह भी देखा गया कि महिला पीड़ितों के मामलों में सहायता केंद्रों और परामर्श सेवाओं की भूमिका महत्त्वपूर्ण रही है।

6.4 स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस की भूमिका

जिले में प्रशासन एवं पुलिस द्वारा अत्याचार निवारण हेतु विशेष निगरानी समितियों का गठन किया गया है। मासिक समीक्षा बैठकों में दर्ज प्रकरणों की स्थिति पर चर्चा की जाती है। फिर भी, व्यवहारिक स्तर पर पुलिस जाँच में विलंब, एफआईआर दर्ज करने में टालमटोल, और अभियोजन पक्ष की कमजोर तैयारी जैसी समस्याएँ अब भी बनी हुई हैं। कुछ मामलों में राजनीतिक हस्तक्षेप और सामाजिक दबाव के कारण न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित होती देखी गई है। सकारात्मक पक्ष यह है कि पिछले कुछ वर्षों में जिला प्रशासन ने *"सामाजिक सद्भाव शिविर"* और *"जनसंवाद कार्यक्रम"* जैसे प्रयासों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने की पहल की है।

6.5 सामाजिक संगठनों एवं जनजागरूकता की स्थिति

बलौदा बाजार-भाटापारा जिले में कई स्थानीय सामाजिक संगठन, जैसे *दलित अधिकार मंच, आदिवासी विकास समिति,* तथा *मानवाधिकार संरक्षण परिषद* सक्रिय रूप से कार्यरत हैं। ये संगठन न केवल पीड़ितों को कानूनी सहायता प्रदान करते हैं, बल्कि सामाजिक जागरूकता अभियानों के माध्यम से भेदभाव के विरुद्ध जनमत तैयार करने का कार्य भी करते हैं। फिर भी, जनजागरूकता का स्तर अभी सीमित है, विशेषकर ग्रामीण अंचलों में। अधिकांश लोग अधिनियम के प्रावधानों या अपने संवैधानिक अधिकारों से पूरी तरह परिचित नहीं हैं। अतः यह आवश्यक है कि सरकारी तंत्र और सामाजिक संस्थाएँ मिलकर सतत जनशिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करें ताकि समाज के कमजोर वर्गों को वास्तविक न्याय और सुरक्षा मिल सके।

7. निष्कर्ष और सुझाव

7.1 अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष

बलौदा बाजार-भाटापारा जिले में किए गए इस अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विरुद्ध अत्याचारों की घटनाएँ सामाजिक, आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक कारकों से गहराई से जुड़ी हुई हैं। यद्यपि विधिक संरचना सुदृढ़ है, परन्तु इसका प्रभावी क्रियान्वयन अभी भी एक चुनौती बना हुआ है।
मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित हैं —

- अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रावधानों की जानकारी समाज के निचले तबके तक पर्याप्त रूप से नहीं पहुँची है।

ISSN: 2582-6433

- दर्ज मामलों की संख्या में वृद्धि यह दर्शाती है कि लोग अब अपने अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक हो रहे हैं, परन्तु दोषसिद्धि की दर कम होना प्रशासनिक और न्यायिक प्रणाली की कमज़ोरी को इंगित करता है।
- पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों में अधिनियम के प्रति संवेदनशीलता की कमी पाई गई है।
- पीड़ितों को सामाजिक बहिष्कार, आर्थिक दबाव और भय के कारण न्याय प्राप्ति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
- सामाजिक संगठनों की सक्रियता से जागरूकता तो बढ़ी है, परंतु ग्रामीण स्तर पर यह अभी भी सीमित है।

7.2 विधिक और न्यायिक प्रणाली की प्रभावशीलता पर टिप्पणियाँ

अध्ययन से यह पाया गया कि विधिक प्रणाली सैद्धांतिक रूप से सशक्त है, किन्तु इसके व्यवहारिक क्रियान्वयन में कई बाधाएँ हैं। न्यायिक प्रक्रिया की धीमी गति, जाँच में विलंब, साक्ष्य की कमी और अभियोजन पक्ष की कमजोर तैयारी के कारण न्याय में देरी होती है। न्यायपालिका ने अपने निर्णयों के माध्यम से अधिनियम की संवैधानिक वैधता को तो सुनिश्चित किया है, परंतु न्यायिक पहुँच और परिणामों की समानता अभी भी अधूरी है। यह आवश्यक है कि न्यायिक संस्थाएँ न केवल निर्णय देने तक सीमित रहें, बल्कि पीड़ितों के पुनर्वास, संरक्षण और सामाजिक पुनर्स्थापन के उपायों पर भी बल दें।

7.3 सुधारात्मक उपायों एवं नीति सुझावों की प्रस्तुति

अध्ययन के आधार पर निम्नलिखित सुधारात्मक सुझाव प्रस्तुत किए जा सकते हैं —

1. **प्रशासनिक स्तर पर सुधार** – पुलिस और राजस्व अधिकारियों को अधिनियम की संवेदनशीलता एवं प्रावधानों पर विशेष प्रशिक्षण दिया जाए।
2. **तेज न्यायिक प्रक्रिया** – विशेष न्यायालयों की संख्या बढ़ाई जाए तथा मामलों के निपटान के लिए समय-सीमा निर्धारित की जाए।
3. **जनजागरूकता अभियान** – ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में नियमित कानूनी साक्षरता शिविरों का आयोजन किया जाए।
4. **साक्ष्य संरक्षण और गवाह सुरक्षा** – गवाहों और पीड़ितों को सुरक्षा एवं आर्थिक सहायता प्रदान की जाए ताकि वे सामाजिक दबाव में न आएँ।
5. **सामाजिक संगठनों की भूमिका** – सरकार और गैर-सरकारी संगठनों के बीच समन्वय बढ़ाया जाए ताकि पीड़ितों को त्वरित सहायता और मार्गदर्शन मिल सके।
6. **डेटा प्रबंधन प्रणाली** – अत्याचारों से संबंधित मामलों की एक केंद्रीकृत डिजिटल रिपोर्टिंग प्रणाली विकसित की जाए जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।

ISSN: 2582-6433

7.4 भविष्य के अनुसंधान की संभावनाएँ

इस अध्ययन ने स्थानीय स्तर पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विरुद्ध अत्याचारों के सामाजिक और विधिक पक्षों पर प्रकाश डाला है। भविष्य में निम्नलिखित विषयों पर गहन अनुसंधान की आवश्यकता है —

- विभिन्न जिलों में अधिनियम के क्रियान्वयन की तुलनात्मक समीक्षा।
- पीड़ितों के पुनर्वास और सामाजिक पुनर्स्थापन के दीर्घकालिक प्रभावों का विश्लेषण।
- न्यायपालिका और प्रशासन के बीच समन्वय के व्यावहारिक मॉडल का अध्ययन।
- मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म की भूमिका न्यायिक पारदर्शिता बढ़ाने में।
- लैंगिक दृष्टिकोण से अनुसूचित जाति एवं जनजाति महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों का विशेष अध्ययन।

संदर्भ सूची

1. विधिक दस्तावेज़ एवं अधिनियम

1. भारत का संविधान, 1950 — अनुच्छेद 14, 15, 17, 46, 338 एवं 338A।
2. अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989)।
3. अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995।
4. मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993।
5. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) – *Crime in India Reports* (2020–2024)।

2. प्रमुख न्यायालयीन निर्णय

1. *State of M.P. v. Ram Krishna Balothia*, AIR 1995 SC 1198।
2. *Subhash Kashinath Mahajan v. State of Maharashtra*, (2018) 6 SCC 454।
3. *Union of India v. State of Maharashtra*, (2019) 13 SCC 1।
4. *State of Karnataka v. Appa Balu Ingale*, AIR 1993 SC 1126।
5. *Bhim Singh v. State of Rajasthan*, AIR 2006 SC 3426।

3. पुस्तकें

1. शर्मा, आर. के. (2018). *भारतीय संविधान और सामाजिक न्याय.* नई दिल्ली: ओरिएंट ब्लैकस्वान।
2. सिंह, एस. पी. (2020). *अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अधिकार और विधिक संरक्षण.* लखनऊ: ईस्टर्न बुक कंपनी।
3. ठाकुर, एम. पी. (2019). *भारतीय दंड प्रणाली और सामाजिक समानता.* भोपाल: नर्मदा प्रकाशन।
4. गौतम, डी. आर. (2021). *सामाजिक न्याय और दलित सशक्तिकरण.* नई दिल्ली: रावत प्रकाशन।

ISSN: 2582-6433

5. आचार्य, आर. एल. (2017). *भारतीय न्याय प्रणाली का समाजशास्त्रीय अध्ययन.* जयपुर: यूनिटी पब्लिकेशन्स।

4. पत्रिकाएँ एवं अनुसंधान लेख

1. Verma, A. (2022). "Judicial Trends in Atrocities Against Scheduled Castes and Tribes in India." *Indian Journal of Law and Justice*, 13(2), 56–73।
2. Rao, S. & Patel, K. (2021). "Effectiveness of the SC/ST (Prevention of Atrocities) Act: A Socio-Legal Review." *Social Change Review*, 49(4), 78–95।
3. Mishra, P. (2020). "Dalit Rights and Legal Safeguards in Contemporary India." *Journal of Social Inclusion Studies*, 6(1), 12–29।
4. Sahu, R. (2023). "Implementation Gaps in the Prevention of Atrocities Act in Central India: A District-Level Study." *Law and Society Review*, 58(3), 102–118।
5. Yadav, M. (2019). "Criminal Justice and Social Equity: A Study of SC/ST Atrocity Cases." *Indian Law Review*, 5(2), 67–80।

5. सरकारी एवं अन्य रिपोर्टें

1. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC), वार्षिक प्रतिवेदन (2021–2024)।
2. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST), वार्षिक प्रतिवेदन (2020–2023)।
3. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार — *Atrocities Monitoring Cell Annual Report* (2022)।
4. छत्तीसगढ़ राज्य मानवाधिकार आयोग, *राज्य स्तरीय अत्याचार निवारण समीक्षा रिपोर्ट* (2023)।
5. बलौदा बाजार-भाटापारा जिला प्रशासन — *जिला अपराध प्रतिवेदन* (2020–2024)।